

✓

(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF THE DELHI GAZETTE –
EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS)
8TH LEVEL, C- WING, DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI

No.F.14(18)/LA-2007/*u law/217*

Dated the 31 May, 2010

NOTIFICATION

F.14(18)/LA-2007/*u law/217* - The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the President of India on 13th May, 2010 and is hereby published for general information:-

**“THE DELHI URBAN SHELTER IMPROVEMENT BOARD ACT, 2010
(Delhi Act 07 of 2010)**

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 01st April, 2010)

[13th May, 2010]

An Act to provide for the establishment of The Delhi Urban Shelter Improvement Board in the National Capital Territory of Delhi and for matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty First Year of the Republic of India as follows:-

**CHAPTER I
PRELIMINARY**

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Delhi Urban Shelter Improvement Board Act, 2010.
- (2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.
- (3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the official Gazette, appoint and different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires, -
 - (a) “Board” means the Delhi Urban Shelter Improvement Board constituted under sub-section (1) of section 3 of this Act;
 - (b) “building” includes a house, out-house, stable, latrine, urinal shed, hut, jhuggi, wall (other than a boundary wall) or any other structure whether made of masonry, brick, wood, mud, metal or any other material but does not include any portable shelter;



- (c) "Delhi" means the National Capital Territory of Delhi;
- (d) "Government" means the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi appointed by the President under article 239 and designated as such under article 239AA of the Constitution;
- (e) "improvement" in relation to any jhuggi jhopri basti means the activity of improvement as provided under section 11 of this Act;
- (f) "jhuggi" means a structure whether temporary or pucca, of whatever material made, with the following characteristics, namely:-
 - (i) it is built for residential purpose;
 - (ii) its location is not in conformity with the land use of the Delhi Master Plan;
 - (iii) it is not duly authorized by the local authority having jurisdiction; and
 - (iv) it is included in a jhuggi jhopri basti declared as such by the Board, by notification;
- (g) "jhuggi jhopri basti" means any group of jhuggis which the Board may, by notification, declare as a jhuggi jhopri basti in accordance with the following factors, namely:-
 - (i) the group of jhuggis is unfit for human habitation;
 - (ii) it, by reason of dilapidation, overcrowding, faulty arrangement and design of such jhuggis, narrowness or faulty arrangement of streets, lack of ventilation, light or sanitation facilities, or any combination of these factors, is detrimental to safety, health or hygiene; and
 - (iii) it is inhabited at least by fifty households as existing on 31st March, 2002:

Provided that the Board may, by order, attach any jhuggi or jhuggis scattered in the nearby areas to any jhuggi jhopri basti and such jhuggi or jhuggis shall be deemed to be part of such jhuggi jhopri basti;

- (h) "katra" includes a residential building or group of buildings in which more than one household share

common facilities which is traditionally and popularly known in Delhi as a "katra".

- (i) "land" includes benefits arising out of land, things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth and rights created by law over any street;
- (j) "Lieutenant Governor" means the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi appointed by the President under article 239 of the Constitution;
- (k) "local authority" includes the Delhi Development Authority, the Municipal Corporation of Delhi, the New Delhi Municipal Council, the Delhi Cantonment Board, and any other authority performing the functions of a local authority;
- (l) "Master Plan" means the Master Plan for Delhi prepared under the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957);
- (m) "occupier" includes-
 - (i) any person who for the time being is paying or is liable to pay to the owner the rent or any portion of the rent of the land or building in respect of which such rent is paid or is payable;
 - (ii) an owner in occupation of, or otherwise using his land or building;
 - (iii) a rent-free tenant of any land or building;
 - (iv) a licensee in occupation of any land or building; and
 - (v) any person who is liable to pay to the owner damages for the use and occupation of any land or building;
- (n) "official Gazette" means the official gazette of Delhi;
- (o) "owner" in respect of clause (b) of section 38 and section 40 of this Act shall have the same meaning as assigned in clause (37) of section 2 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (66 of 1957), whereas in respect of sub-section (2) of section 10, sub-section (1) of section 11 and sub-sections (1) and (4) of section 12, it means the Central Government, or Government of Delhi, as the case may be, or their agencies;
- (p) "person interested" in relation to any land or building,

includes any person claiming, or entitled to claim, an interest in the compensation payable on account of the acquisition of that land or building under this Act;

- (q) "premises" means any land or building or part of a building and includes – (a) the garden, ground and out-houses, if any, appertaining to a building or part of a building, and (b) any fittings affixed to a building or part of a building for the more beneficial enjoyment thereof;
- (r) "public premises" shall have the same meaning as defined in clause (e) of section 2 of the Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971 (40 of 1971);
- (s) "redevelopment" means the activity of redevelopment of an area where jhuggi jhopri basti is situated in accordance with the provisions of section 12 of this Act;
- (t) "regulation" means a regulation made by the Board with the approval of the Government, under this Act, by notification in the official Gazette;
- (u) "rule" means a rule made by the Government under this Act, by notification in the official Gazette.
- (v) "slum" and "slum area" shall have the same meanings as assigned to them under the Slum Areas (Improvement and Clearance) Act, 1956 (96 of 1956);
- (w) "unauthorized regularized colonies" mean the unauthorized colonies regularized from time to time.



CHAPTER II

DELHI URBAN SHELTER IMPROVEMENT BOARD AND ITS CONSTITUTION

Establishment of the Board.

3. (1) As soon as may be after the commencement of this Act, the Government shall, by notification in the official Gazette, constitute an authority to be called "the Delhi Urban Shelter Improvement Board". (herein after referred to as "the Board").
- (2) The Board constituted under sub-section (1) shall be the competent authority to implement the provisions of the Slum Areas (Improvement and Clearance) Act, 1956 (96 of 1956).
- (3) The Board shall be a body corporate by the name aforesaid having perpetual succession and a common seal and to contract and shall by the said name sue and be sued.
- (4) The Board shall consist of the following, namely:-
- (i) (a) a Chairperson, who shall be the Chief Minister;
(b) a Vice-Chairperson who shall be the Minister in-charge of the concerned department of the Government dealing with the Board;
 - (ii) the chief executive officer, to be nominated by the Government who shall be an officer carrying a scale of pay which is not less than that of a Joint Secretary to the Government of India;
 - (iii) three members of the Legislative Assembly of Delhi, to be nominated by the Chairperson in consultation with the Speaker;
 - (iv) two members of the Municipal Corporation of Delhi, to be nominated by the Mayor;
 - (v) the Vice Chairman, Delhi Development Authority, ex-officio;
 - (vi) the Commissioner of the Municipal Corporation of Delhi, ex-officio;
 - (vii) the Chief Executive Officer, Delhi Jal Board, ex-officio;



- (viii) the Chairperson of the New Delhi Municipal Council, ex-officio;
- (ix) a Member (Engineering), to be nominated by the Government, who shall be an engineer, carrying a scale of pay, which is not less than that of a Joint Secretary to the Government of India, having specialized knowledge and experience in the matters relating to engineering;
- (x) a Member (Finance), to be nominated by the Government carrying a scale of pay which is not less than that of a Joint Secretary to the Government of India, having specialized knowledge and practical experience of accounting and financial matters;
- (xi) a Member (Administration), to be nominated by the Government carrying a scale of pay, which is not less than that of a Joint Secretary to the Government of India, having specialized knowledge and practical experience of personnel and administrative matters;
- (xii) a Member (Power), to be nominated by the Government carrying a scale of pay which is not less than that of a Joint Secretary to the Government of India, having specialized knowledge and practical experience of power and administrative matters;
- (xiii) the Secretary in charge of the concerned Department of the Government dealing with the Board, ex-officio;
- (xiv) a representative of the Ministry of Urban Development, Government of India, who shall be an officer of the rank of Joint Secretary to the Government of India, to be nominated by the Central Government;
- (xv) two experts on the subjects dealing with the urban planning and slum matters non officials, to be nominated by the Chairperson.



Term of office and conditions of service of members.

4. The term of office and other conditions of service of the members shall be as follows: -
- (1) Members nominated under clauses (ii), (ix), (x),

(xi), (xii) and (xv) of sub section 4 of section 3 of this Act shall receive from the funds of the Board such salaries and allowances, and shall be governed by such conditions of service, as may be prescribed.

(2) Except in the case of ex-officio members and members nominated under clauses (iii) and (iv) of sub-section (4) of section 3 of this Act, the members of the Board shall hold office at the pleasure of the Government.

(3) The members of the Board nominated under clauses (iii) and (iv) of sub-section (4) of section 3 of this Act shall hold office for a period of two years and such term shall come to an end as soon as the member concerned ceases to be a member of the body from which he/she was nominated.

Acts and proceedings not to be invalidated by vacancies, etc.

5. No act done or proceeding taken by the Board or under the authority of the Board shall be questioned on the ground merely of the existence of any vacancy in, or defect in the constitution of the Board.

Appointment of officers and employees and their salaries and allowances.

6. (1) The Board may appoint a Secretary and such other officers and employees as it may consider necessary for the efficient performance of its functions under this Act.
- (2) The pay and other conditions of service of the officers and employees of the Board shall be such as may be prescribed by regulations.
- (3) Unless expressly provided to the contrary under this Act or the regulations made thereunder, the terms and conditions of service of officers and employees of the Board shall be governed mutatis mutandis by the terms and conditions of service under the rules and regulations applicable to the employees of the Government and by the orders and decisions issued by the Government from time to time.



Power to levy fees and charges.

7. The Board shall, for the purposes of this Act, levy fees and charges for any services, which it may be

required to provide, as may be prescribed by the rules in this behalf.

Urban shelter
consultative
committee.

8. (1) The Government may constitute an urban shelter consultative committee to perform functions described in sub-section (3) of this section.
- (2) The composition of the consultative committee shall be as may be prescribed by rules.
- (3) The functions of the urban shelter consultative committee shall be-
 - (i) to provide feedback to the Board regarding the status of redevelopment and various initiatives of the Board;
 - (ii) to articulate the felt needs and problems of the slum and jhuggi dwellers;
 - (iii) to suggest to the Board strategies for more effective provision of basic infrastructure of services;
 - (iv) to advise the Board on any other matter regarding which the Board may seek its advice.
- (4) the members of the consultative committee shall be paid remuneration as prescribed by rules.

CHAPTER III

FUNCTIONS OF THE BOARD

Survey of jhuggi
jhopri bastis.

9. (1) The Board shall have the power to make a survey of any jhuggi jhopri basti, with a view to ascertaining the number of residents thereof, the existing standard of health, sanitation and civic amenities, the availability of medical and educational facilities for the residents thereof, and any other matter which may appear necessary to it to enable it to perform its functions under this Act.
- (2) It shall be the duty of every local authority and of every department of the Government to make available to the Board all information in its possession relevant to the conduct of such survey.



Removal and
resettlement of
jhuggi jhopri
bastis.

10. (1) The Board shall have the power to prepare a scheme for the removal of any jhuggi jhopri basti and for resettlement of the residents thereof, and the consent of the residents of the jhuggi jhopri basti shall not be required for the preparation or implementation of such a scheme.

Explanation. - Nothing in sub-section (1) shall derogate the power of the Central Government to remove jhuggis, if required.

- (2) Every such scheme shall specify the amount to be paid by the land owner and by the persons to be resettled towards the cost of new houses to be allotted to them and also the criteria for eligibility for resettlement.

Explanation: For the removal of doubts it is hereby clarified that owner of the land from where the basti is removed and the subsequent beneficiary-residents to be resettled shall contribute towards the cost of new houses to be allotted to them and the said amount of the contribution shall be specified in the scheme.

- (3) The Board may, after prior consultation with the Government, cause any jhuggi jhopri basti to be removed and may resettle such residents thereof as may be eligible in accordance with the scheme prepared under sub-section (1), and it shall be the duty of the local authority having jurisdiction and of the police and of any other agency or department whose assistance the Board may require to co-operate with and render all reasonable assistance to the Board:

Provided that where jhuggi jhopri basti is on the land belonging to the Central Government or any of its organizations, the process of removal and resettlement shall be undertaken with the prior consent of the Central Government or its organization concerned:

Provided further that such resettlement shall not be done in contravention of the provisions of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) and those of the Master Plan for Delhi or the zonal development plans prepared thereunder.

Scheme of
improvement of
jhuggi bastis.

11. (1) The Board may prepare a scheme for the improvement of any jhuggi jhopri basti which may include provision of toilets and bathing facilities, improvement of drainage, provision of water supply, street paving, and provision of dustbins, or sites for garbage collection, street lighting, or any of them, or provision of any like facilities:

Provided that no such scheme shall be prepared if the owner of the land on which the jhuggi jhopri basti is situated has already consented to the preparation of a scheme for the removal of the jhuggi jhopri basti under section 10 and has paid his share of the cost thereof.

- (2) The Board may take all measures which may be necessary for the implementation of any scheme for improvement of a jhuggi jhopri basti prepared under sub-section (1) and it shall be the duty of the local authority, power generation and distribution companies or any licensee under the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) having operations in the area, and any department or undertaking of the Government to render all reasonable assistance for the implementation thereof.
- (3) A scheme prepared under sub-section (1) may include provision for payment or for contribution of labour by the residents of the jhuggi jhopri basti individually or collectively, and may also include provision for recovery of charges for the use of toilets and bathing facilities:

Provided that no such payment or contribution of labour, other than charges for use of toilet and bathing facilities, shall be levied unless the scheme has been published and the residents given an opportunity to make representations and suggestions regarding it in such manner as may be prescribed by regulations, and such representations or suggestions, if any, have been duly considered by the Board.

Scheme of
redevelopment
of jhuggi jhopri
basti.

12. (1) The Board may, with the consent of the owner of the land on which the jhuggi jhopri basti is situated, work out schemes for collective community rehabilitation, relocation or in-situ upgradation and involve private sector/slum cooperatives for redevelopment of the basti with a view to

bringing about environmental improvement and improvement in the living conditions of the residents. Rehabilitation of the residents of the jhuggi jhopri bastis who would be affected by redevelopment shall form an integral part of the rehabilitation scheme.

- (2) The consent of the residents of the jhuggi jhopri basti shall not be required for the preparation and implementation of any scheme for redevelopment of the basti under this section.
- (3) The redevelopment scheme referred to in sub-section (1) may provide for construction and disposal by sale or lease of land for commercial, residential, institutional and light industrial use or any one or more of them as per the provisions of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) and those of the Master Plan for Delhi and Zonal Development Plans, etc. prepared thereunder
- (4) The Board may permit the owners on whose land a basti for which the scheme of re-development has been prepared under sub-section (1), to implement that scheme. Such scheme may not be executed by the Board itself.

Provided that the prior approval of the Central Government shall be taken if the land in question belongs to the Central Government

Basti Vikas
Samiti.

13. (1) The Board may constitute a Basti Vikas Samiti for any jhuggi jhopri basti to assist and advise the Board on all matters relating to the activities of the Board in respect of such basti or bastis.

- (2) The procedure to be followed by the Board in this behalf shall be as may be specified in the regulations made in this behalf.

Power to make
temporary use of
vacant site.

14. The Board may, subject to the provisions of this Act, make temporary use of any vacant site which, in its opinion, is urgently required for provision of public conveniences or drainage, the absence of which, in the opinion of the Board, is likely to cause a danger to public health and sanitation in the locality:

Provided that the Board shall not make use of the land under or appurtenant to any lawfully existing and duly authorized building.

Preference to
other sites.

15. The Board shall, as far as may be, make use of the land under this Chapter belonging to the Government, the Central Government, a local authority, government undertaking or autonomous body in preference to other sites:

Provided that the prior approval of the Central Government shall be taken if the land in question belongs to the Central Government

Procedure of
making
temporary use of
site.

16. (1) Before making use of any site under this Chapter, the Board shall call upon the owner thereof or any person in possession of the site or managing it, to show cause within seven days of the service of notice as to why such temporary use of land should not be made:

Provided that before utilizing the site under this sub-section, the Board shall consider the representation, if any, made by such person in this behalf.

- (2) If the Board is satisfied, after having considered any representation made under sub-section (1), that it is necessary to make use of the site, the Board may proceed to make use of such site and may use such force for the purpose as may be necessary.

Provided that where the site belonged to the Central Government or any of its agencies or organizations, prior approval shall be taken of the Central government or its agency, or organization concerned.



Lease or
agreement no
ground for
refusal.

17. Notwithstanding the provisions of any other law for the time being in force, no lease or other agreement entered into in respect of such site shall be a ground for refusal to allow temporary use by the Board of such site;

Provided that where the site belonged to the Central Government or any of its agency or

organization, prior approval shall be taken of the Central government or its agency or organization concerned.

Issuance of fresh notice.

18. If the Board does not make use of such site for the purpose envisaged in section 14 within a period of six months from the date of the issue of the notice, the Board shall issue fresh notice for the same before making use of it. The period of six months shall count from the date of the issue of the notice under section 16.

Use of temporary site.

19. Notwithstanding the provisions of any other law for the time being in force, the Board may construct such structures or do such works on the site, the use of which is made under section 14 as may appear necessary to it in order to make use of it for provisions of public conveniences and drainage, but as far as may be shall refrain from making permanent alterations and modifications, and shall remove all structures constructed by it upon cessation of such use.

Provided that where the site belonged to the Central Government or any of its agencies or organizations, prior approval shall be taken of the Central Government or its agency or organization concerned.

Duration of temporary use of site.

20. The Board shall discontinue the temporary use of any site taken under this Chapter within two years from the date of commencement of such use:

Provided that if the Board is satisfied that continuation of such temporary use is necessary in the interest of public health, the Board may, after giving opportunity to show cause, by order extend such temporary use for such further period, not exceeding one year, as the Board may deem necessary.

Housing scheme.

21. (1) The Board may prepare a housing scheme for the resettlement of persons who are to be resettled or provided alternative accommodation under any scheme for the removal of any jhuggi jhopri basti under the provisions of section 10 or section 12 of this Act.

- (2) The Board may prepare schemes for housing of those belonging to economically weaker sections including low income group and poor categories.

Provided that except where land or rehabilitation site belongs to the Government, a housing scheme under sub-section (1) and (2) shall be drawn up in consultation with the land owning agency on mutually accepted conditions.

- (4) Every scheme prepared under sub-section (1) shall provide for the cost of land, the development of such land and all related matters, the mode of allotment of plots or of houses, including the selection of allottees of such plots or houses and the terms and conditions of allotment, and for any other matter that may be considered necessary.

Publication of
scheme for
inviting
objections.

22. Before finalizing and implementing any scheme under this Chapter, the Board shall publish the scheme in such manner as may be prescribed by regulations and shall invite and consider objections, if any, received from the public.

CHAPTER - IV FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT

Funds of
the
Board.

23. (1) The Board shall have and maintain its own funds to which shall be credited -
- (a) all moneys received by the Board from the Government by way of grants, loans, advances or otherwise;
 - (b) all moneys borrowed by the Board from sources other than the Government by way of loans, or debentures;
 - (c) all fees and charges collected or received by the Board under this Act or any rules or regulation made thereunder;
 - (d) all moneys received by the Board from the disposal of lands, buildings and other properties, movable and immovable; and
 - (e) all moneys received by the Board by way of rents and profits or in any other manner or from any other sources.

- (2) The funds shall be applied towards meeting the expenses incurred by the Board in the administration of this Act and for

no other purpose.

- (3) The Board may keep in current account of the State Bank of India or any other nationalized banks such sum or sums of money out of its funds as may be prescribed by rules and any money in excess of the said sum or sums shall be invested in such manner as may be approved by the Government.
- (4) The Government may make such grants, advances and loans to the Board as the Government may deem necessary for the performance of the functions of the Board under this Act and all grants, loans and advances made shall be on such terms and condition as the Government may determine.
- (5) The Board may borrow moneys by way of loans or debentures from financial institutions and such sources (other than the Government) and on such terms and conditions as may be approved by the Government.
- (6) The Board shall maintain a Debt Fund for the repayment of moneys borrowed under sub-section (5) and shall pay every year into the Debt Fund such sum as may be sufficient for repayment of principal and interest due thereon, within the period fixed, of all moneys so borrowed.
- (7) The Debt Fund or any part thereof shall be applied in, or towards, the discharge of the loan for which such Fund was created, and until such loan is wholly discharged, it shall not be applied for any other purpose.

Budget
and
audit
of the
Board

24. (1) The Board shall prepare in such form and at such time every year as may be prescribed by rules, a budget in respect of the financial year next ensuing showing the estimated receipts and expenditure of the Board and shall forward to the Government such number of copies thereof as may be prescribed by rules.

(2) The Board shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts, including the balance-sheet in such form as the Government may by rules prescribe in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India.

(3) The accounts of the Board shall be subject to audit annually by the Comptroller and Auditor-General of India and any expenditure incurred by him in connection with such audit shall be payable by the Board to the Comptroller and Auditor-General of India.

- (4) The Comptroller and Auditor-General of India and any person



appointed by him in connection with the audit of accounts of the Board shall have the same right, privilege and authority in connection with such audit as the Comptroller and Auditor-General of India has in connection with the audit of the Government accounts, and in particular, shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and to inspect the office of the Board.

- (5) The accounts of the Board as certified by the Comptroller and Auditor-General of India or any other person appointed by him in this behalf, together with the audit report thereon, shall be forwarded annually to the Government and the Government shall cause a copy of the same to be laid before the Legislative Assembly of Delhi.

Annual
report
of the
Board.

25. The Board shall prepare for every year a report of its activities during that year and submit the report to the Government in such form and on or before such date as may be prescribed by rules, and the Government shall cause a copy of the report to be laid before the Legislative Assembly of Delhi.

CHAPTER - V

MISCELLANEOUS

Production of
record.

26. The Government may at any time require the Board -
- (a) to produce any record, correspondence or other document in possession of the Board, and
 - (b) to furnish any report, written plan, estimate, statement of accounts or statistics relating to the functions of the Board.

Inspection
and
examination
of works,
records, etc.
of the Board
by the
Government

27. The Government may depute any officer to inspect or examine any office of the Board or any service or work undertaken by the Board or property belonging to the Board and to report thereon and the Board and all its officers shall be bound to provide access to such person, at all reasonable times, to the premises and properties of the Board as well as of all records, accounts and other documents the inspection of which such officer may consider necessary to enable him to discharge his duties.

Board to
comply with
directions of

28. The Government may, at any time, issue directions to the Board in relation to the management of the Board and the Board shall comply with such directions.

the
Government

Provided that the Government shall obtain and consider the opinion of the Board before issuing any such direction.

Provided further that the Government shall make due provision for any financial liability to the Board arising directly in consequence of any such directions.

Provided also that all directions issued to the Board by the Government shall be reported to the Legislative Assembly of Delhi at the end of each year.

Transitional
provisions.

29. Notwithstanding anything contained in this Act, the Government may, if necessary, appoint a special officer to exercise the powers and discharge the functions of the Board until the day on which the first meeting of the Board is held after the commencement of this Act.

Taking over
the Services
of officers
and
employees.

30. In administering the provisions of this Act, the Board may, with the prior approval of the Government, take over the services of the officers and other employees of any existing organization of the Government or any other local authority with such designations as the Board may determine and they shall hold office for the same tenure, and at the same remuneration and on same terms and conditions of service, as they would have held if the Board had not been established and shall continue to do so until such tenure, remuneration and terms and conditions are duly altered by the Board:

Provided that the tenure, remuneration and terms and conditions of service of any such officer or employee shall not be altered to his disadvantage without the previous approval of the Government:



Provided further that any services rendered by any such officer or employee before the establishment of the Board shall be deemed to be services rendered under the Board:

Provided also that the Board may employ any such officer or other employee in the discharge of such functions under this Act as the Board may think proper and every such officer or other employee shall discharge those functions accordingly.

Taking over the assets and liabilities.

31. On and from the commencement of this Act, the Board may take over such assets and liabilities, both movable and immovable, of any existing organization of the Government or any local authority as may be specified by the Government or by the Central Government, as the case may be, by an order issued in this behalf, on such terms as may be specified in such order.

All appointments, notifications, orders, etc. made or issued prior to formation of the Board to continue in force.

32.(1) Anything done or any action taken, including any appointment, notification, order, delegation, scheme, rule, form, notice made, granted or issued by any existing organization of the Government or of any other local authority, shall, in so far as it is not inconsistent with the provisions of this Act, continue in force and be deemed to have been made, issued or granted under the provisions of this Act.

(2) All debts, obligations and liabilities incurred, all contracts entered into and all matters and things engaged to be done by, with or for the existing organization of the Government or any local authority shall be deemed to have been incurred, entered into or engaged to be done by, with or for the Board.

(3) All rents, fees and other sums of money due to the existing organization of the Government or any local authority shall be deemed to be due to the Board.

(4) All suits, prosecutions and other legal proceedings instituted or which might have been instituted by, for or against the existing organization of the Government or any local authority may be continued or instituted by, for or against the Board.

Acquisition of immovable property.

33. (1) The Board shall for the purposes of this Act, by agreement on such terms and at such price as may be approved by the Board, have power to acquire and hold or dispose of movable and immovable property or any interest thereon.

(2) The Government may at the request of the Board acquire, prescribe any immovable property in accordance with the law for the time being in force.

Power to contract.

34. The Board shall be competent to enter into and perform any contract necessary for the discharge of its functions under this Act.



Officers and employees of the Board to be public servants. 35. All officers and employees of the Board shall, when acting or purporting to act in pursuance to the provisions of this Act or of any rules or regulations made thereunder be deemed to be public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).

Service of notices, etc. 36. (1) Every notice issued by or on behalf of the Board or any of its officers or employee shall be deemed to be duly served -

(a) by giving or tendering the notice, order or direction, or by sending it by post / carrier to the person for whom it is intended; or

(b) if such person cannot be found, by affixing the notice, order or direction on some conspicuous part of his last known place of residence or business, or by giving or tendering the notice, order or direction to some adult member or servant of his family or by causing it to be affixed on some conspicuous part of the building or land, if any, to which it relates.

(2) Where the person on whom a notice, order or direction is to be served is a minor, such service upon his guardian, or upon any adult member of his family, shall be deemed to be the service upon such minor.

Power of entry and inspection. 37. It shall be lawful for any officer or employee authorized by the Board in this behalf, to enter into or upon any land or building built by the Board, with or without assistants and workmen, for the purpose of making an enquiry, inspection, measurement, valuation or survey or to execute any work which is authorized by or under this Act or which it is necessary to execute for any of the purposes or in furtherance of any of the provisions of this Act or of any rule or regulation made thereunder.

Breaking into building. 38. It shall be lawful for any person authorized by the Board in this behalf to make an entry into any place whereupon the premises and structures have been built by the Board and to open or cause to be opened any door, gate or other barrier thereof or thereon -

(a) if he considers the opening thereof necessary for the purpose of such entry; and

(b) if the owner or occupier is absent, or being present refuses to open such door, gate or barrier.

Time of making entry. 39. No entry authorized by or under this Act shall be made except between the hours of sunrise and sunset.

Consent ordinarily to be obtained. 40. Save as provided in this Act, no land or building shall be entered without the consent of the occupier or, if there be no occupier, of the owner thereof, and no such entry shall be made without giving the said occupier or owner, as the case may be, not less than twenty-four hours written notice of the intention to make such entry.

Issue of notice to show cause against order of eviction. 41. (1) If the Board is of the opinion that any persons are in occupation of any public premises and that they should be evicted, the Board shall issue in the manner hereinafter provided a notice in writing calling upon all persons concerned to show cause why an order of eviction should not be made.

(2) The notice shall –

(a) specify the grounds on which the order of eviction is proposed to be made; and

(b) require all persons concerned, that is to say, all persons who are, or may be in occupation of, or claim interest in, the public premises, -

(i) to show cause, if any, against the proposed order on or before such date as specified in the notice, being a date not earlier than seven days from the date of issue thereof, and

(ii) to appear before the Board on the date specified in the notice along with the evidence which they intend to produce in support of the cause shown, and also for personal hearing, if such hearing is desired.

(3) The Board shall cause the notice to be served by having it affixed on the outer door or some other conspicuous part of the public premises, and in such other manner as may be prescribed, whereupon the notice shall be deemed to have been duly given to all persons concerned.

Eviction of unauthorized occupants. 42. (1) If, after considering the cause, if any, shown by any person in pursuance of a notice under section 41 and any evidence produced by him in support of the same and after personal hearing, if any, given under clause (b) of sub-section (2) of



section 41, the Board is satisfied that the public premises are in unauthorized occupation, the Board may make an order of eviction, for reasons to be recorded therein, directing that the public premises shall be vacated, on such date as may be specified in the order, by all persons who may be in occupation thereof or any part thereof, and cause a copy of the order to be affixed on the outer door or some other conspicuous part of the public premises.

- (2) If any person refuses or fails to comply with the order of eviction on or before the date specified in the said order or within fifteen days of the date of its publication under sub-section (1), whichever is later, the Board may, after the date so specified or after the expiry of the period aforesaid, whichever is later, evict that person from, and take possession of, the public premises and may, for that purpose, use such force as may be necessary.

- Mode of recovery of certain dues. 43. All dues to the Board on account of any charges, costs, expenses, fees, rates, licence fee, damages or rent or on any other account under this Act or any rule or regulation made thereunder shall be recoverable from the person from whom such sum is due as arrears of land revenue.

Provided that no proceeding for the recovery of any sum under this section shall be commenced after the expiry of three years from the date on which such sum becomes due.

- Revision. 44. The Lieutenant Governor may, either suo moto or on an application, call for and examine the record of any proceedings or decision or order passed by the Board for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of any decision or order passed, and, if in his opinion any such decision or order should be modified, annulled or revised, may, after giving the persons affected thereby an opportunity of being heard, pass such order thereon as he may deem fit:

Provided that every application to the Lieutenant Governor for the exercise of the powers under this section shall be preferred within ninety days from the date on which the proceeding, decision or order to which the application relates was communicated to the applicant.

- Appeals. 45. (1) Any person aggrieved by any notice, order or direction issued

or given by the Board under this Act, may, within thirty days from the date of receipt of the notice, order or decision, appeal to the Lieutenant Governor:

Provided that the Lieutenant Governor may entertain an appeal after the expiry of the said period of thirty days if he is satisfied that there was sufficient cause for not filing it within that period.

(2) An appeal to the Lieutenant Governor shall be made in such form and shall be accompanied by a copy of the notice, order or direction appealed against and by such fees as may be prescribed by rules.

(3) The order of the Lieutenant Governor on an appeal under subsection (1) shall be final.

4) No appeal shall be decided under this section unless the appellant has been heard or has had a reasonable opportunity of being heard.

Prohibition of 46.
certain case.

No person shall-

(a) willfully obstruct any member of the Board or any person acting under the authority of the Board in the performance of his duties; and

(b) carry out any development in a notified slum and jhuggie jhopri basti without obtaining permission of the Board.

Penalties.

47. whosoever:-

(a) obstructs entry of a person authorized by the Board in this behalf in or upon any land and building for purposes of any enquiry, inspection, measurement, valuation or survey or to execute any work authorized by and considered necessary under this Act, shall, on conviction, be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both;

(b) contravenes or fails to comply with any other provision of this Act or of any notice, order or direction issued in pursuance of the provisions of this Act or the rules and regulations made shall, on conviction be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both.

Prosecution
and trial of
offences.

48. (1) No prosecution for any offence punishable under this Act shall be instituted except with the previous sanction of the Board.

(2) No Court inferior to that of a Metropolitan Magistrate shall try any offence punishable under this Act.

Protection of
action taken
in good faith.

49. No suit or other legal proceeding shall lie instituted in any court against the Board or against any person or authority acting under the direction of any officer or other employee of the Board for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of the provisions of this Act or the rules or regulations made thereunder.

Delegation of
powers by the
Board.

50. The Board may, by order, direct that any power conferred or any duty imposed on it by or under this Act shall, in such circumstances and under such conditions, if any, as may be specified in the order, be exercised and performed also by any officer or employee specified in the order.

Dissolution
of the Board.

51. (1) Where the Government is satisfied that the purposes for which the Board was established under this Act have been substantially achieved so as to render the continued existence of the Board in the opinion of the Government unnecessary, the Government may, by notification in the official Gazette, declare that the Board shall be dissolved with effect from such date as may be specified in the notification and the Board shall be deemed to be dissolved accordingly.

(2) Upon the publication of the notification under sub-section (1) dissolving the Board -

(a) all properties, funds and dues, which are vested in or realizable by, the Board, shall vest in, or be realizable by, the Government;

(b) all lands placed at the disposal of the Board shall revert to the Government ; and

(c) services of all the officials and officers working under the Board shall be deemed to be transferred to the Government.



Power to make rules. 52. (1) The Government may, by notification in the official Gazette, make rules for carrying out all or any of the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely: -

- (a) the salaries, allowances and conditions of service of the members of the Board;
- (b) levying of fees and charges by the Board in respect of any services which it may be required to provide;
- (c) composition of Urban Shelter Consultative Committee;
- (d) remuneration of the members of the Consultative Committee;
- (e) the sum or sum of money out of its funds that the Board may keep in current account of the State Bank of India or any other nationalized bank; any money in excess of the said sum or sums that may be invested by the Board in the manner to be approved by the Government;
- (f) the form in which and the time of the year at which the budget of the Board shall be prepared, the number of copies of the budget to be forwarded to the Government, the form of the annual statement of accounts, including the balance-sheet and the form for the maintenance of accounts and other relevant records;
- (g) the form of annual report of the Board and the date on or before which it shall be submitted to the Government;
- (h) the manner of service of notice to show cause against the order of eviction;
- (i) the form in which an appeal is to be filed to the Lieutenant Governor and prescribing the fee required to be accompanied with the appeal, against the decision of the Board;
- (j) any other matter which is to be, or may be, prescribed by rules.

Power to make regulations. 53. (1) The Board may with the previous approval of the Government and by notification in the official Gazette, make regulations consistent with this Act and the rules made thereunder to carry out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the



foregoing power, such regulations may provide for all or any of the following matters, namely:-

- (a) the pay and other conditions of service of officers and employees of the Board;
- (b) the manner of dealing with the representations and suggestions of residents of the jhuggi-jhompri basti with regard to payment or contribution of labour, other than charges for use of toilet and bathing facilities;
- (c) the procedure to be followed by the Board in connection with the constitution of Basti Vikas Samiti for any jhuggi-jhompri basti to assist and advise the Board on matters relating to the activities of the Board in respect of such basti or bastis;
- (d) any other matter which is to be, or may be, prescribed by regulations;

Laying of 54.
rules and
regulations
before the
Legislative
Assembly of
Delhi.

Every rule and every regulation made under this Act shall be laid, as soon as may be after such rule or regulation is made, before the House of the Legislative Assembly of Delhi, while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session, or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, the House agrees in making any modification in the rule or regulation, as the case may be, or the House agrees that the rule or regulation, as the case may be, should not be made, the rule or regulation, shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity or anything previously done under that rule or regulation.

Power to 55.
remove
difficulties

- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by general or special order published in the official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it to be necessary or expedient for the removal of the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiration of two years from the commencement of this Act.



(2) Every order made under sub-section (1) of this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly of Delhi."

S Rao

(Savita Rao)

Joint Secretary (Law, Justice & LA)



(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग-4 में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग,

8वां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।

सं.एफ.14(18)/एलए-2007/ulaw/217

दिनांक 31 मई, 2010

अधिसूचना

सं.एफ.14(18)/एलए-2007/ulaw/217

भारत के राष्ट्रपति की दिनांक 13 मई, 2010 को मिली अनुमति के पश्चात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जनसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :-

“दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड अधिनियम, 2010

(2010 का दिल्ली अधिनियम-07)

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2010 को यथापारित)

(13 मई, 2010)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की स्थापना करने और उससे संबंधित या उससे अनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय-1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ । 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड अधिनियम, 2010 है ।

(2) यह समस्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विस्तारित है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के लिए अलग-अलग तारीखें नियत की जा सकती हैं तथा इस अधिनियम के प्रवृत्त होने संबंधी किसी प्रावधान के प्रति निर्देश को उस प्रावधान के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश समझा जायेगा ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “बोर्ड” का अर्थ है इस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत गठित “दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड”;

(ख) “भवन” के अंतर्गत मकान, उप-भवन, अस्तबल, शौचालय, मूत्रालय शेड, झोपड़ी, झुग्गी, दीवार (चाहर दीवारी से अलग) या कोई अन्य ढांचा शामिल है जो चिनाई, ईंट, लकड़ी, गारे, धातु या किसी अन्य पदार्थ का बना हो, किन्तु इसमें कोई पोर्टेबल (सुवाह्य) आश्रय शामिल नहीं है;

(ग) “दिल्ली” का अर्थ है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली;

(घ) “सरकार” का अर्थ भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एवं अनुच्छेद 239 कक के अंतर्गत यथापदनामित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप राज्यपाल से है;

(ङ) किसी झुग्गी झोपड़ी बस्ती के संदर्भ में “सुधार” का अर्थ है इस अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत उपबंधित सुधार की गतिविधियां;

(च) "झुग्गी" का अर्थ है कोई ढांचा जो अस्थायी या पक्का हो, चाहे किसी भी सामग्री का बना हो, जिसकी निम्नांकित विशेषताएं होती हैं:-

- (1) इसका निर्माण आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाता है;
- (2) उसकी अवस्थिति दिल्ली मास्टर प्लान (बहुत योजना) के भूमि उपयोग के अनुरूप नहीं होती;
- (3) वह अधिकार-क्षेत्र रखने वाले स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अधिकृत नहीं होता; और
- (4) वह बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना के तहत घोषित किसी झुग्गी झोपड़ी बस्ती में शामिल हो।

(छ) "झुग्गी झोपड़ी बस्ती" का अर्थ है झुग्गियों का कोई समूह जो निम्नांकित घटकों के अनुसार बोर्ड की अधिसूचना द्वारा झुग्गी झोपड़ी बस्ती घोषित किया गया हो, अर्थात् :-

- (1) झुग्गियों का समूह मानव के रहने के लिए उपयुक्त नहीं होता;
- (2) वह जीर्णवस्था, भीड़-भाड़, बदईतजामी और झुग्गियों के खराब डिजाइन या गलियों के दोषपूर्ण प्रबंधन, वायु-संचालन, प्रकाश और स्वच्छता सेवाओं की कमी या इन घटकों में से किसी के भी समीकरण ठीक न होने जैसे कारणों से सुरक्षा, स्वास्थ्य या स्वच्छता की दृष्टि से हानिकारक होता है।

(3) उसमें 31 मार्च, 2002 को कम से कम पचास परिवार रह रहे हों :

किंतु, बोर्ड, आदेश जारी करके, निकटवर्ती क्षेत्र में बिखरी किसी झुग्गी या झुग्गियों को किसी झुग्गी झोपड़ी बस्ती के साथ जोड़ सकता है और ऐसी झुग्गी या झुग्गियां उस झुग्गी झोपड़ी बस्ती का हिस्सा समझी जायेंगी;

- (ज) "कटरा" के अंतर्गत एक आवासीय भवन या भवनों का समूह समाहित होता है, जिसमें एक से अधिक परिवार साझा सामान्य सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं, जो दिल्ली में परम्परागत रूप में "कटरा" के रूप में लोकप्रिय है;
- (झ) "भूमि" के अंतर्गत भूमि से उत्पन्न लाभ, धरती से संबंधित चीजें या धरती के साथ स्थायी रूप से स्थिर की गई कोई वस्तु और किसी गली पर कानून द्वारा सर्जित अधिकार, शामिल हैं;
- (ञ) "उप राज्यपाल" का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 239 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल;
- (ट) "स्थानीय प्राधिकरण" के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर परिषद, दिल्ली छावनी बोर्ड और स्थानीय प्राधिकरण के कार्य करने वाला कोई अन्य प्राधिकरण शामिल है;
- (ठ) "मास्टर प्लान" या बहुत योजना का अर्थ है दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61वां) के अंतर्गत दिल्ली के लिए तैयार की गई बहुत योजना (मास्टर प्लान);
- (ड) "अधिमोगी" में निम्नांकित समाहित हैं—
 - (1) कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मालिक को, भूमि या भवन के संदर्भ में अदा किया गया देय किराया या किराये का हिस्सा अदा कर रहा है

- या अदा करने के प्रति उत्तरदायी है;
- (2) कोई मालिक जो अपनी भूमि या भवन का अधिभोग कर रहा है या अन्यथा इस्तेमाल कर रहा है;
 - (3) किसी भूमि या भवन का किराया—मुक्त अधिभोक्ता है;
 - (4) किसी भूमि या भवन का लाइसेंस धारक अधिभोगी; और
 - (5) कोई व्यक्ति जो मालिक को किसी भूमि या भवन के इस्तेमाल या अधिभोग के लिए क्षति की भरपायी करने के प्रति उत्तरदायी है;
- (ढ) “सरकारी राजपत्र” का अर्थ है दिल्ली का सरकारी राजपत्र;
- (ण) इस अधिनियम की धारा 38 के खंड (ख) और धारा 40 के संदर्भ में “मालिक” का अर्थ वही होगा जो दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66) की धारा 2 के खंड (37) में आशयित है, जबकि धारा 10 की उपधारा (2), धारा 11 की उपधारा (1) और धारा 12 की उपधारा (1) और (4) के संदर्भ में इसका अर्थ होगा केंद्र सरकार, अथवा दिल्ली सरकार, जो भी लागू हो या उनकी एजेंसिया;
- (त) किसी भूमि या भवन के संदर्भ में “हित बद्ध व्यक्ति” में ऐसा व्यक्ति शामिल है जो इस अधिनियम के अंतर्गत भूमि या भवन के अधिग्रहण किए जाने पर देय मुआवजे में हित का दावा कर रहा हो, या दावा करने का हकदार हो;
- (थ) “परिसरों” का अर्थ है भूमि या भवन अथवा भवन का हिस्सा और इसमें निम्नांकित शामिल हैं—(क) किसी भवन या भवन के हिस्से से संबद्ध उद्यान, ग्राउंड और उपभवन, यदि कोई हो, और (ख) किसी भवन या भवन के हिस्से के साथ जुड़ी कोई फिटिंग, जो उसका अधिक हितकारी अधिभोग करने के लिए की गई हो;
- (द) “सार्वजनिक परिसरों” का अर्थ वही होगा जो सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा-2 के खंड (ड) में अभिप्रेत है;
- (ध) “पुनर्विकास” का अर्थ है इस अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे क्षेत्र का विकास जहां झुग्गी झोपड़ी बस्ती स्थित हो;
- (न) “नियमन” का अर्थ है इस अधिनियम के अंतर्गत सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सरकार की अनुमति के साथ बोर्ड द्वारा नियमन;
- (प) “नियम” का अर्थ है इस अधिनियम के अंतर्गत सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करके सरकार द्वारा बनाया गया नियम;
- (फ) “स्लम” (गंदी बस्ती) और “स्लम एरिया” (गंदी बस्ती क्षेत्र) का अर्थ वही होगा जो गंदी बस्ती क्षेत्र (स्लम एरिया) (सुधार तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1956 (1956 का 96) के अंतर्गत उनके लिए

- निर्दिष्ट किया गया है;
- (ब) "अनधिकृत नियमित कालोनियां" का अर्थ है समय-समय पर नियमित की गई अनधिकृत कालोनियां।

अध्याय - 2

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड और उसका गठन

बोर्ड की स्थापना।

3. (1) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के बाद, यथाशीघ्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक प्राधिकरण का गठन करेगी जिसे "दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड" (इसमें इसके पश्चात "बोर्ड") कहा जायेगा।
- (2) उपधारा (1) के अंतर्गत गठित बोर्ड गंदी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1956 (1956 का 96) के प्रावधानों को लागू करने के लिए सक्षम प्राधिकरण होगा।
- (3) बोर्ड उपरोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा, जिसे शाश्वत उत्तराधिकार होगा और वह समान मोहर के साथ संविदा करेगा तथा इसी नाम से वाद चलायेगा और इसी नाम से उसके खिलाफ वाद चलाया जायेगा।
- (4) बोर्ड के निम्नांकित सदस्य होंगे :-
- (1) (क) एक अध्यक्ष, जो मुख्यमंत्री होगा;
 - (ख) एक उपाध्यक्ष, जो बोर्ड से संबद्ध विभाग का प्रभारी मंत्री होगा;
 - (2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी सरकार द्वारा नामित किया जायेगा, जिसका वेतन मान भारत सरकार के संयुक्त सचिव से कम नहीं होगा;
 - (3) दिल्ली की विधानसभा के तीन सदस्य, जो विधानसभा अध्यक्ष की सलाह पर अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जायेंगे;
 - (4) दिल्ली नगर निगम के दो सदस्य जो महापौर द्वारा मनोनीत किए जायेंगे;
 - (5) उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण, पदेन;
 - (6) आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, पदेन;
 - (7) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली जल बोर्ड, पदेन;
 - (8) अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर परिषद, पदेन;
 - (9) एक सदस्य (इंजीनियरी), सरकार द्वारा मनोनीत किया जायेगा जो एक इंजीनियर होगा जिसका वेतनमान भारत सरकार के संयुक्त सचिव के वेतनमान से कम न हो, और जिसे इंजीनियरिंग से संबंधित मामलों में विशेषज्ञता और अनुभव प्राप्त हो;
 - (10) एक सदस्य (वित्त), सरकार द्वारा मनोनीत किया जायेगा, जिसका वेतनमान भारत सरकार के संयुक्त सचिव के वेतनमान से कम न हो, और जिसे अकाउंटिंग और वित्तीय मामलों में विशेषज्ञता और अनुभव प्राप्त हो;
 - (11) एक सदस्य (प्रशासन), सरकार द्वारा मनोनीत किया जायेगा, जिसका वेतनमान भारत सरकार के संयुक्त सचिव के वेतनमान से कम न हो, और जिसे कार्मिक एवं प्रशासनिक

मामलों में विशेषज्ञता और अनुभव प्राप्त हो;

- (12) एक सदस्य (बिजली), सरकार द्वारा मनोनीत किया जायेगा, जिसका वेतनमान भारत सरकार के संयुक्त सचिव के वेतनमान से कम न हो, और जिसे बिजली एवं प्रशासनिक मामलों का विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव हो;
- (13) बोर्ड से संबद्ध विभाग के प्रभारी सचिव, पदेन;
- (14) भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय का एक प्रतिनिधि जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के रैंक का हो। जिसे केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किया जायेगा;
- (15) शहरी योजना और स्लैम मामलों से संबद्ध विषयों के दो विशेषज्ञ-गैर सरकारी, जो अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जायेंगे।

सदस्यों का कार्यकाल और सेवा शर्तें 4. सदस्यों का कार्यकाल और अन्य सेवा शर्तें इस प्रकार होंगी—

- (1) धारा 3 की उपधारा 4 के खंड (पप), (पग), (ग), (गप), (गपप), और (गअ) के अंतर्गत मनोनीत किए गए सदस्यों के वेतन एवं भत्तों का भुगतान बोर्ड की निधि से किया जायेगा, और उन पर लागू होने वाली सेवा शर्तें निर्धारित की जायेंगी।
- (2) पदेन सदस्यों और इस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) के खंड (पपप) और (पअ) के अंतर्गत मनोनीत सदस्यों को छोड़कर बोर्ड के सदस्य सरकार की इच्छा के अनुसार पद पर बने रहेंगे।
- (3) इस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) के खंड (पपप) और (पअ) के अंतर्गत मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष की अवधि के लिए होगा, और, जिस निकाय से सदस्य को मनोनीत किया गया है उसकी सदस्यता समाप्त होते ही बोर्ड से भी सम्बद्ध सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जायेगा।

रिक्तियों आदि की वजह से कार्य और कार्यवाहियां अमान्य नहीं होगी। 5. बोर्ड में कोई पद रिक्त होने या बोर्ड के गठन में त्रुटि होने मात्र के आधार पर कोई भी कार्य या कार्यवाही निरस्त नहीं होगी।

अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनके वेतन एवं भत्ते। 6. (1) बोर्ड इस अधिनियम के अंतर्गत अपने कार्यों के सक्षम निष्पादन के लिए अनिवार्य समझे गए सचिव एवं अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है।
(2) बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन और अन्य सेवा शर्तें विनियमों द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं।
(3) इस अधिनियम अथवा इसके अन्तर्गत बनाए गए विनियमों के तहत स्पष्ट रूप से उपबंधित सेवा शर्तों के सिवाय, बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तें यथा आवश्यक परिवर्तन सहित सरकार के कर्मचारियों पर लागू नियमों और विनियमों के अंतर्गत सेवा शर्तों तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्णयों, के अंतर्गत अधिशासित होंगी।

शुल्क एवं प्रभार लगाने के अधिकार। 7. बोर्ड इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, किन्हीं सेवाओं, जो उसे प्रदान करनी पड़ सकती हैं, पर शुल्क एवं प्रभार लगा सकता है, जो इस बारे में नियमों द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।

शहरी आश्रय सलाहकार समिति। 8. (1) सरकार इस धारा की उप-धारा (3) में वर्णित कार्यों को पूरा करने के लिए एक शहरी आश्रय सलाहकार समिति का गठन कर सकती है।

(2) सलाहकार समिति का गठन नियमों के अंतर्गत निर्धारित विधि अनुसार किया जा सकता है।

(3) शहरी आश्रय सलाहकार समिति के कार्य इस प्रकार होंगे:-

(1) पुनर्विकास और बोर्ड द्वारा किए गए विभिन्न उपायों की स्थिति के बारे में बोर्ड को फीडबैक प्रदान करना है;

(2) स्लम (गंदी बस्तियों) और झुग्गी निवासियों की जरूरतों और समस्याओं को उजागर करना;

(3) सेवाओं के बुनियादी ढांचे के अधिक कारगर प्रावधान के लिए बोर्ड को कार्यनीतियों के बारे में सुझाव देना;

(4) अन्य किसी मामले में बोर्ड को सलाह देना, जिसके बारे में बोर्ड उसकी सलाह मांग सकता है।

(4) सलाहकार समिति के सदस्यों को नियमों के अंतर्गत निर्धारित पारिश्रमिक अदा किया जायेगा।

अध्याय-3

बोर्ड के कार्य

झुग्गी झोपड़ी बस्तियों का सर्वेक्षण। 9. (1) बोर्ड को यह अधिकार होगा कि वह किसी झुग्गी झोपड़ी बस्ती के निवासियों की संख्या, स्वास्थ्य, स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं के मौजूदा स्तर, उसके निवासियों के लिए चिकित्सा और शिक्षा सुविधाओं की उपलब्धता, और किसी अन्य ऐसे मामलों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण कर सकता है, जो इस अधिनियम के तहत उसे अपने कार्य पूरे करने के लिए अनिवार्य लगते हों।

(2) प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण और सरकार के प्रत्येक विभाग का यह दायित्व होगा कि वह ऐसे सर्वेक्षण के संचालन से संबंधित समस्त जानकारी, जो उनके पास उपलब्ध हो, बोर्ड को उपलब्ध कराये।

झुग्गी झोपड़ी बस्तियों का स्थानांतरण और पुनर्वास। 10. (1) बोर्ड को यह अधिकार होगा कि वह किसी झुग्गी झोपड़ी बस्ती के स्थानांतरण और उसके निवासियों के पुनर्वास के लिए योजना तैयार करे, और ऐसी योजना तैयार करने के अथवा उसे कार्यान्वित करने के लिए झुग्गी झोपड़ी बस्ती के निवासियों की सहमति आवश्यक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण :- उप-धारा (1) के प्रावधान केन्द्र सरकार द्वारा झुग्गियों के स्थानांतरण, यदि वह आवश्यक समझे, के अधिकार को किसी भी तरह कम नहीं करते हैं।

(2) ऐसी प्रत्येक योजना के अंतर्गत भू-स्वामी और पुनर्वासित किए

जाने वाले व्यक्तियों द्वारा उन्हें आवंटित किए जाने वाले नए मकानों की लागत के रूप में अदा की जाने वाली राशि तथा पुनर्वास के लिए पात्रता के मानदंड निर्दिष्ट किए जायेंगे।

स्पष्टीकरण : संदेह दूर करने के लिए एदत् द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि जहां से बस्तियां हटायी जानी हैं उस भूमि के मालिक और पुनर्वासित किए जाने वाले परवर्ती लाभार्थी-निवासियों को, उन्हें आवंटित किए जाने वाले नए मकानों की लागत वहन करनी होगी तथा वहन की जाने वाली राशि का उल्लेख इस योजना में किया जायेगा।

(3) बोर्ड, सरकार के साथ पूर्व सलाह करने के बाद, किसी झुग्गी झोपड़ी बस्ती को स्थानांतरित कर सकता है और उप-धारा (1) के अंतर्गत तैयार की गयी योजना के अनुसार उसके पात्र निवासियों का पुनर्वास कर सकता है, और अधिकार क्षेत्र वाले स्थानीय प्राधिकरण तथा पुलिस और किसी अन्य एजेंसी या विभाग, जिसकी सहायता की आवश्यकता बोर्ड को पड़ सकती है, का यह दायित्व होगा कि वे बोर्ड के साथ सहयोग करें और बोर्ड को हर प्रकार की उपयुक्त सहायता उपलब्ध करायें :

परन्तु, जहां झुग्गी झोपड़ी बस्ती केन्द्र सरकार या उसके किसी संगठन से संबंधित भूमि पर स्थित हो, तो स्थानांतरण और पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू करने से पहले केन्द्र सरकार या उसके संबंधित संगठन की अनुमति लेना अनिवार्य होगा:

परन्तु यह और भी कि इस तरह का पुनर्वास दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) और दिल्ली के लिए बृहत् योजना (मास्टर प्लान) या उसके अंतर्गत तैयार की गयी जोनल (आंचलिक) विकास योजनाओं के प्रावधानों के विपरीत नहीं किया जायेगा।

झुग्गी बस्ती सुधार 11. योजना।

(1) बोर्ड किसी झुग्गी झोपड़ी बस्ती के सुधार के लिए योजना तैयार कर सकता है, जिसमें शौचालयों और स्नान सुविधाओं के प्रावधान, जल-निकासी में सुधार, जलापूर्ति का प्रावधान, गलियों में खड़्ग बिछाना और कचरे के पात्रों या कचरा एकत्र करने के स्थलों का प्रावधान, गलियों में प्रकाश की व्यवस्था, या उनमें से कोई एक, या ऐसी अन्य सुविधाओं के प्रावधान शामिल हो सकते हैं:

परन्तु, ऐसी कोई योजना तब तक तैयार नहीं की जायेगी जब तक कि धारा 10 के अंतर्गत झुग्गी झोपड़ी बस्ती के स्थानांतरण के लिए योजना तैयार करने के बारे में उस भूमि के मालिक की सहमति प्राप्त न कर ली गयी हो, जिसकी जमीन पर झुग्गी झोपड़ी बस्ती स्थित है और उसने लागत का अपना हिस्सा अदा न कर दिया हो।

(2) बोर्ड उप-धारा (1) के अंतर्गत किसी झुग्गी झोपड़ी बस्ती के सुधार के लिए तैयार की गयी किसी योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक सभी उपाय करेगा और यह स्थानीय प्राधिकरण, बिजली उत्पादन और वितरण कम्पनियों या विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के अंतर्गत क्षेत्र में प्रचालन रखने वाले किसी लाइसेंस या सरकार के प्रतिष्ठान का यह दायित्व होगा कि उसके कार्यान्वयन के

लिए हर प्रकार की उपयुक्त सहायता बोर्ड को उपलब्ध कराये।

(3) उप-धारा (1) के अंतर्गत तैयार की गयी योजना में झुग्गी झोपड़ी बस्ती के निवासियों द्वारा श्रम के लिए अलग अलग या सामुहिक रूप से भुगतान अथवा श्रम में योगदान का प्रावधान शामिल किया जा सकता है तथा शौचालयों और स्नानागार सुविधाओं के इस्तेमाल के लिए शुल्कों की वसूली का प्रावधान भी शामिल किया जा सकता है:

परन्तु, शौचालयों और स्नानागार सुविधाओं के इस्तेमाल के लिए शुल्कों को छोड़कर किसी श्रम में किसी प्रकार के योगदान या उसके लिए भुगतान का प्रावधान तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि योजना प्रकाशित न की गयी हो और इस बारे में विनियमों द्वारा निर्धारित पद्धति से निवासियों को प्रतिवेदन और सुझाव देने का अवसर न प्रदान किया गया हो, और अगर ऐसे प्रतिवेदन या सुझाव यदि कोई प्राप्त होते हैं, तो बोर्ड द्वारा उन पर विचार किया जाना चाहिए।

झुग्गी झोपड़ी बस्ती के पुनर्विकास की योजना।

12. (1) बोर्ड, उस भूमि के मालिक की सहमति के साथ, जिसकी भूमि पर झुग्गी झोपड़ी बस्ती स्थित है, सामूहिक समुदाय पुनर्वास, पुनःस्थापना, स्वस्थाने उन्नयन की योजनाएं तैयार करेगा और बस्ती के पुनर्विकास के लिए निजी क्षेत्र/स्लम सहकारी संगठनों को शामिल करेगा ताकि पर्यावरणीय सुधार लाया जा सके और निवासियों की जीवन स्थितियों में सुधार लाया जा सके। झुग्गी झोपड़ी बस्तियों के पुनर्विकास से प्रभावित होने वाले निवासियों का पुनर्वास पुनर्विकास योजना का अभिन्न अंग होगा।

(2) इस धारा के अंतर्गत किसी बस्ती के पुनर्विकास के लिए कोई योजना तैयार करने और उसे लागू करने के लिए झुग्गी झोपड़ी बस्ती के निवासियों की सहमति आवश्यक नहीं होगी।

(3) उप-धारा(1) में वर्णित पुनर्विकास योजना के अंतर्गत दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) और उसके तहत तैयार की गयी दिल्ली की बृहत् योजना और जोनल विकास योजनाओं आदि के अंतर्गत वाणिज्यिक, आवासीय, संस्थागत और हलके औद्योगिक उपयोग के लिए निर्माण तथा बिक्री या पट्टे पर भूमि के निपटान के लिए प्रावधान करना पड़ सकता है।

(4) बोर्ड उन मालिकों को, जिनकी जमीन पर वह बस्ती स्थित है जिसके लिए उप-धारा (1) के अंतर्गत योजना तैयार की गयी है, उस योजना के कार्यान्वयन की अनुमति दे सकता है।

परन्तु भूमि यदि केन्द्र सरकार से संबंधित होगी तो उसके लिए केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति ली जायेगी।

बस्ती विकास समिति।

13. (1) बोर्ड किसी झुग्गी झोपड़ी बस्ती के लिए बस्ती विकास समिति

का गठन कर सकता है, जो ऐसी बस्ती या बस्तियों के संदर्भ में बोर्ड की गतिविधियों से संबंधित सभी मामलों में बोर्ड की सहायता कर सके और उसे सलाह दे सके।

(2) इस बारे में बोर्ड द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया वह हो सकती है जिसका उल्लेख इसके लिए बनाए गए विनियमों में किया गया हो।

खाली स्थल का 14. बोर्ड, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, किसी ऐसे खाली स्थल अस्थायी उपयोग करने के अधिकार। का अस्थायी उपयोग कर सकता है, जो उसकी राय में जन सुविधाओं या जल-निकासी के लिए तत्काल आवश्यक हो, और बोर्ड की राय में उसके बिना बस्ती में जन-स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का खतरा पैदा होने की आशंका हो:

परन्तु, बोर्ड किसी विधिवत विद्यमान और नियमानुसार अधिकृत भवन के अंतर्गत अथवा संबंधित भूमि का इस्तेमाल नहीं करेगा।

अन्य स्थलों की तुलना 15. बोर्ड, इस अध्याय के अंतर्गत, जहां तक संभव होगा अन्य स्थलों की में वरीयता। तुलना में सरकार, केन्द्र सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्रतिष्ठान या स्वायत्त निकाय से संबंधित भूमि के इस्तेमाल को वरीयता देगा:

परन्तु, भूमि यदि केन्द्र सरकार से संबंधित होगी तो केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति ली जायेगी।

भूमि का अस्थायी 16. (1) इस अध्याय के अंतर्गत किसी भूमि का इस्तेमाल करने से पहले बोर्ड उसके मालिक अथवा भूमि के कब्जाधारी या उसका बंदोबस्त करने वाले व्यक्ति को बुलायेगा और उसे नोटिस देकर यह पूछा जायेगा कि वह सात दिन के भीतर कारण बताए कि उसकी भूमि का अस्थायी इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाये:

परन्तु, इस उप-धारा के अंतर्गत भूमि का इस्तेमाल करने से पहले, बोर्ड इस बारे में सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन, यदि कोई हो, पर विचार करेगा।

(2) उप-धारा (1) के अंतर्गत किए गए प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद, यदि बोर्ड इस बात से संतुष्ट है, कि स्थान का इस्तेमाल करना अनिवार्य है, तो बोर्ड ऐसी भूमि के इस्तेमाल की कार्यवाही शुरू कर सकता है और इस प्रयोजन के लिए आवश्यक बल का इस्तेमाल कर सकता है।

परन्तु, भूमि यदि केन्द्र सरकार या उसकी किसी एजेंसी या संगठन से संबंधित हो तो केन्द्र सरकार या उसकी संबंधित एजेंसी/संगठन की पूर्व अनुमति ली जायेगी।

लीज या समझौता 17. तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के प्रावधानों के बावजूद, ऐसे स्थल के इंकार करने का आधार संदर्भ में किए गए किसी लीज अनुबंध या अन्य समझौते को, बोर्ड

नहीं होगा।

द्वारा उस स्थल के अस्थायी इस्तेमाल किए जाने की अनुमति न देने का आधार नहीं बनाया जा सकेगा।

परन्तु, भूमि यदि केन्द्र सरकार या उसकी किसी एजेंसी या संगठन से संबंधित हो तो केन्द्र सरकार या उसकी संबंधित एजेंसी/संगठन की पूर्व अनुमति ली जायेगी।

नया नोटिस जारी करना। 18. धारा 14 के अंतर्गत नोटिस जारी करने की तारीख से छह महीने की अवधि में यदि बोर्ड उक्त धारा में वर्णित प्रयोजन के लिए सम्बद्ध स्थल का इस्तेमाल नहीं करता, तो बोर्ड को उसका इस्तेमाल करने के लिए नया नोटिस जारी करना होगा। 6 महीने की अवधि की गणना धारा 16 के अंतर्गत नोटिस जारी होने की तारीख से की जायेगी।

अस्थायी स्थल का इस्तेमाल। 19. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के प्रावधानों के बावजूद, बोर्ड धारा 16 के अंतर्गत वर्णित स्थल का इस्तेमाल करते समय ऐसे ढांचों का निर्माण कर सकता है अथवा ऐसे निर्माण कार्य कर सकता है जो वह उस स्थल के इस्तेमाल में सार्वजनिक सुविधाओं और जल निकासी के लिए अनिवार्य समझता हो, किन्तु वह स्थायी परिवर्तनों और रूपांतरणों को अंजाम नहीं देगा तथा स्थल का इस्तेमाल बंद करने पर स्वयं बनाए गए सभी ढांचों को हटायेगा।

परन्तु, भूमि यदि केन्द्र सरकार या उसकी एजेंसियों या संगठनों से संबंधित हो तो केन्द्र सरकार या उसकी संबंधित एजेंसियों या संगठनों की पूर्व अनुमति ली जायेगी।

स्थल के अस्थायी इस्तेमाल की अवधि। 20. बोर्ड इस अध्याय के अंतर्गत किसी स्थल के अस्थायी इस्तेमाल को उसके प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष के भीतर समाप्त कर देगा: परन्तु, यदि बोर्ड इस बात से संतुष्ट हो कि स्थल का अस्थायी इस्तेमाल सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में अनिवार्य है, तो बोर्ड, कारण बताने का अवसर प्रदान करने के बाद, आदेश द्वारा अस्थायी इस्तेमाल की अवधि आवश्यकतानुसार बढ़ा सकता है, जो एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी,

आवास योजना। 21. (1) इस अधिनियम की धारा 10 और 12 के प्रावधानों के अंतर्गत किसी झुग्गी झोपड़ी बस्ती के स्थानांतरण की किसी योजना के अंतर्गत पुनर्वासित किए जाने वाले या वैकल्पिक आवास प्रदान किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए बोर्ड एक आवास योजना तैयार कर सकता है।

(2) बोर्ड निम्न आय समूह और निर्धन श्रेणियों सहित आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के लिए आवास की योजनाएं तैयार कर सकता है। परन्तु, भूमि या पुनर्वास स्थल सरकार से संबंधित होने के मामले को छोड़कर, उपधारा (1) और (2) के अंतर्गत कोई भी आवास योजना भूमि के स्वामित्व वाली एजेंसी के साथ सलाह मशविरा करके परस्पर स्वीकार्य शर्तों के आधार पर तैयार की जायेगी।

(3) उप-धारा (1) के अंतर्गत तैयार की गयी प्रत्येक योजना में भूमि की लागत, उस भूमि के विकास और अन्य सभी संबंधित मामलों, प्लॉटों या मकानों के आवंटियों के चयन सहित प्लॉटों या मकानों के आवंटन की पद्धति और आवंटन के नियम एवं शर्तों, तथा आवश्यक समझे गए किसी अन्य मामले के बारे में व्यवस्था की जायेगी।

आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए योजना का प्रकाशन।

22. इस अध्याय के अंतर्गत किसी योजना को अंतिम रूप देने और कार्यान्वित करने से पहले, बोर्ड विनियमों द्वारा निर्धारित पद्धति से योजना को प्रकाशित करेगा तथा आपत्तियां आमंत्रित करेगा और जनता से प्राप्त आपत्तियों, यदि कोई हों, पर विचार करेगा।

अध्याय - 4

वित्त, लेखा एवं लेखा परीक्षा

बोर्ड की निधियां।

23. (1) बोर्ड की अपनी निधियां होगी और उसके कोष में निम्नांकित प्राप्तियां जमा की जायेगी—

(क) बोर्ड को अनुदान, ऋण अग्रिमों या अन्य किसी रूप में सरकार से प्राप्त होने वाली सभी निधियां;

(ख) सरकार के अलावा ऋणों या डिबेंचरों के माध्यम से अन्य स्रोतों से बोर्ड द्वारा उधार ली गई सभी निधियां;

(ग) इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों अथवा विनियमों के अंतर्गत बोर्ड द्वारा एकत्र या प्राप्त किए गए सभी शुल्क और प्रभार;

(घ) भूमि, भवनों और अन्य चल एवं अचल संपत्तियों के निपटान से बोर्ड को प्राप्त होने वाली सभी निधियां; और

(ङ) बोर्ड द्वारा किराए या लाम अथवा किसी अन्य तरीके या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सभी निधियां।

(2) बोर्ड द्वारा निधियों का प्रयोग केवल इस अधिनियम के कार्यान्वयन में किए जाने वाले खर्च को पूरा करने के लिए किया जायेगा और अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं।

(3) बोर्ड अपनी निधियों में से नियमों के अंतर्गत निर्धारित राशि अथवा राशियां भारतीय स्टेट बैंक या अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा रखेगा और उक्त राशि या राशियों से अधिक धन को सरकार द्वारा मंजूर किए गए ढंग से निवेश करेगा।

(4) सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड के कार्यों के निष्पादन के लिए ऐसे अनुदान, अग्रिम या ऋण बोर्ड को प्रदान करेगी, जो सरकार द्वारा उचित समझे जायेंगे और सभी अनुदान, ऋण और अग्रिम ऐसे नियमों एवं शर्तों के अधीन दिए जायेंगे, जिनका निर्धारण सरकार द्वारा किया जा सकता है।

(5) बोर्ड वित्तीय संस्थानों और सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य स्रोतों (सरकार से भिन्न) तथा नियमों एवं शर्तों पर ऋणों या डिबेंचरों के

रूप में धन उधार ले सकता है।

(6) बोर्ड उप-धारा (5) के अंतर्गत उधार लिए गए धन के पुर्नभुगतान के लिए एक ऋण कोष रखेगा और उधार ली गई सभी निधियों के मूलधन एवं उस पर देय ब्याज के नियत अवधि में पुर्नभुगतान के लिए पर्याप्त राशि हर वर्ष ऋण कोष में जमा की जायेगी।

(7) ऋण कोष अथवा उसके किसी हिस्से का अनुप्रयोग या इस्तेमाल उस ऋण के चुकता करने के लिए किया जायेगा, जिसके लिए कोष की स्थापना की गई थी, और जब तक ऋण पूरी तरह चुकता नहीं होगा, उसका इस्तेमाल किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

बोर्ड का बजट और लेखा परीक्षण। 24.

(1) बोर्ड हर वर्ष नियमों में निर्धारित प्रारूप और समय पर आगामी वित्त वर्ष के लिए एक बजट तैयार करेगा, जिसमें बोर्ड की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय दर्शाया जायेगा और नियमों में निर्धारित संख्या में बजट की प्रतियां सरकार को भेजी जाएंगी।

(2) बोर्ड सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक की सलाह से नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में समुचित लेखा-जोखा और संबंधित रिकार्ड रखेगा तथा तुलन-पत्रक सहित वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेगा।

(3) बोर्ड की लेखाबहियों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा वार्षिक रूप में की जायेगी और उसके द्वारा लेखापरीक्षा के निमित्त किया गया खर्च बोर्ड द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महापरीक्षक को अदा किया जायेगा।

(4) भारत के नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक और बोर्ड के खातों की लेखा परीक्षा के सिलसिले में उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सरकारी खातों की लेखा परीक्षा के सिलसिले में होते हैं, और विशेष रूप से, उन्हें लेखाबहियों, खातों, संबंधित वाचचरों और अन्य दस्तावेज तथा कागजों को प्रस्तुत करने की मांग करने तथा बोर्ड के कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(5) भारत के नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक या इस बारे में उनकी और से नियुक्त अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित बोर्ड के लेखों को, उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ हर वर्ष सरकार को अग्रसारित किया जायेगा तथा सरकार उनकी एक प्रति दिल्ली की विधानसभा के समक्ष पेश करेगी।

बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट। 25.

बोर्ड हर वर्ष, उस वर्ष के दौरान अपनी गतिविधियों के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे नियमों द्वारा निर्धारित रूप में तथा निर्धारित तारीख को या उससे पहले सरकार को पेश करेगा तथा

सरकार उस रिपोर्ट की प्रति दिल्ली की विधानसभा के समक्ष रखेगी।

अध्याय — 5

विविध

- रिकार्ड प्रस्तुत करना। 26. सरकार किसी भी समय बोर्ड से निम्नांकित प्रस्तुत करने को कह सकती है :
- (क) बोर्ड के पास उपलब्ध कोई रिकार्ड, पत्राचार या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करना; और
- (ख) कोई रिपोर्ट, लिखित योजना, प्राक्कलन, लेखा विवरण अथवा बोर्ड के कार्यों से संबंधित आकड़े प्रस्तुत करना।
- सरकार द्वारा बोर्ड के कार्यों, रिकार्डों आदि का निरीक्षण और जांच। 27. सरकार बोर्ड के किसी कार्यालय अथवा किसी सेवा या बोर्ड द्वारा किए गए किसी कार्य अथवा बोर्ड से संबंधित संपत्ति के निरीक्षण या जांच के लिए किसी अधिकारी को नियुक्त कर सकती है और उसको रिपोर्ट देने को कह सकती हैं तथा बोर्ड और उसके सभी अधिकारी ऐसे व्यक्ति को, सभी उपयुक्त समयों पर, बोर्ड के परिसरों और संपत्तियों में प्रवेश करने की अनुमति देने तथा ऐसे अधिकारी द्वारा अपने दायित्व को पूरा करने के लिए निरीक्षण हेतु आवश्यक समझे गए सभी रिकार्ड, खाते और अन्य दस्तावेज उसे उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होंगे।
- बोर्ड को सरकार के निर्देशों का अनुपालन करना होगा। 28. सरकार बोर्ड के प्रबंधन के संबंध में समय-समय पर बोर्ड को निर्देश जारी कर सकती हैं तथा बोर्ड ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा।
- परंतु सरकार ऐसा कोई निर्देश देने से पहले बोर्ड की राय प्राप्त करेगी और उस पर विचार करेगी;
- परंतु यह और भी कि सरकार ऐसे निर्देशों के परिणाम स्वरूप बोर्ड के समक्ष प्रत्यक्ष रूप में पैदा होने वाली किसी प्रकार की वित्तीय देयता के लिए प्रावधान करेगी;
- परंतु यह भी कि सरकार द्वारा बोर्ड को जारी सभी निर्देशों की जानकारी वर्ष के अंत में दिल्ली की विधानसभा को दी जायेगी।
- संधि-कालीन प्रावधान। 29. इस अधिनियम में निहित किसी बात के बावजूद, आवश्यक होने पर, सरकार इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद से बोर्ड की प्रथम बैठक होने की तारीख तक बोर्ड के अधिकारों का इस्तेमाल करने और उसके कार्यों को अंजाम देने के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है।
- अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाएं लेना। 30. इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए, बोर्ड, सरकार की पूर्व अनुमति के साथ, सरकार के किसी मौजूदा संगठन या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवाएं ले सकता है, जिनके पदनाम बोर्ड निर्धारित कर सकता है और वे अपने पद पर उतनी ही अवधि के लिए, उतने ही वेतन और उन्हीं सेवा शर्तों के साथ काम करेंगे, जैसा कि वे बोर्ड की स्थापना न होने की स्थिति में करते। वे ऐसा तब तक जारी रखेंगे जब तक कि बोर्ड द्वारा कार्य अवधि, पारिश्रमिक और सेवा शर्तों में परिवर्तन

नहीं कर दिया जाता :

परंतु सरकार की पूर्व अनुमति लिए बिना किसी अधिकारी या कर्मचारी के कार्यकाल, पारिश्रमिक और सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन उसे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया जायेगा :

परंतु यह और भी कि बोर्ड की स्थापना से पहले ऐसे अधिकारी या कर्मचारी द्वारा प्रदत्त सेवाओं को बोर्ड के अंतर्गत प्रदत्त की गई सेवाएं समझा जायेगा :

परंतु यह भी कि बोर्ड इस अधिनियम के अंतर्गत अपने दायित्वों का निर्वाह करने में किसी अन्य ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी की नियुक्ति भी कर सकता है, जो बोर्ड उचित समझता हो और ऐसे अधिकारी या कर्मचारी को तदनुरूप उन कार्यों का निर्वहन करना होगा।

- परिसंपत्तियों और 31. इस अधिनियम के प्रवृत्त होने पर तथा प्रवृत्त होने की तारीख से देयताओं को ग्रहण करना।
- बोर्ड के गठन से पहले की गई सभी नियुक्तियां या जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश आदि प्रभावी रहेंगे।
32. (1) बोर्ड के गठन से पहले सरकार के किसी मौजूदा संगठन अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई जिसमें की गई कोई नियुक्ति, मंजूर अथवा जारी की गई अधिसूचना, आदेश, प्रत्यायोजन, कार्यक्रम, नियम, फार्म, नोटिस शामिल है, वे इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप होने की सीमा तक जारी रहेंगे और यह समझा जायेगा कि उन्हें इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत निर्मित, जारी या मंजूर किया गया है।
- (2) सरकार के किसी मौजूदा संगठन या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा या उनकी ओर से किए गए सभी ऋण, दायित्व और देयताएं, किए गए सभी अनुबंध और अनुलग्न की गई चीजें बोर्ड द्वारा या बोर्ड की ओर से किए गए, प्रविष्ट किए गए या शामिल किए गए समझे जायेंगे।
- (3) सरकार के मौजूदा संगठन या किसी स्थानीय प्राधिकरण की ओर देय सभी किराये, शुल्क और अन्य धनराशियां बोर्ड की ओर देय समझी जायेंगी।
- (4) सरकार के मौजूदा संगठन या अन्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा, की ओर से या उसके विरुद्ध शुरू किए गए सभी मुकदमों, अभियोजन और प्रारंभ की गई अथवा अवश्य प्रारंभ की जाने वाली अन्य कानूनी प्रक्रियाएं बोर्ड द्वारा जारी या शुरू की गई, उसकी ओर से उसके खिलाफ की गई समझी जायेंगी।
- अचल संपत्ति का अधिग्रहण। 33. (1) बोर्ड को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, बोर्ड द्वारा स्वीकृत शर्तों तथा मूल्य के समझौते पर अचल या चल संपत्ति हासिल करने और उसे धारण करने या बेचने या उसमें कोई हित व्यक्त करने का

अधिकार है।

(2) सरकार बोर्ड के अनुरोध पर तत्समय प्रचलित विधि के अनुसार किसी अचल संपत्ति का अधिग्रहण, निर्धारण कर सकती है।

- संविदा का अधिकार। 34. बोर्ड इस अधिनियम के अंतर्गत अपने कार्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक संविदा करने और उस पर अमल करने में सक्षम होगा।
- बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी लोक सेवक होंगे। 35. इस अधिनियम के प्रावधानों या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों अथवा विनियमों के अनुपालन में काम करते हुए या कार्य करने के लिए तात्पर्य रखने वाले सभी अधिकारी और कर्मचारी भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जायेंगे।
- नोटिस, आदि देना। 36. (1) बोर्ड या उसके किसी अधिकारी या कर्मचारी की ओर से जारी किए गए प्रत्येक नोटिस को निम्नांकित द्वारा प्रदान किया गया समझा जायेगा :—
- (क) नोटिस, आदेश या निर्देश को देना या संदत्त करना, या डाक/वाहक द्वारा आशयित व्यक्ति के पास भेजना; अथवा
- (ख) अगर ऐसा व्यक्ति न मिले, तो नोटिस, आदेश या निर्देश को उसके अंतिम ज्ञात निवास या व्यापार के ठिकाने पर किसी ध्यानाकर्षी स्थान पर चिपकाना अथवा नोटिस, आदेश या निर्देश को उसके परिवार के किसी बालिग सदस्य या नौकर को देना या संदत्त करना अथवा उनसे संबंधित किसी भवन या भूमि, यदि कोई हो, के किसी ध्यानाकर्षी स्थान पर चिपकाना।
- (2) यदि कोई नोटिस, आदेश या निर्देश किसी नाबालिग व्यक्ति को दिया जाना हो, तो उसे उसके संरक्षक, या उसके परिवार के किसी बालिग सदस्य को दिये जाने की स्थिति में यह समझा जायेगा कि इसे नाबालिग व्यक्ति को दिया गया है।
- प्रवेश और निरीक्षण का अधिकार। 37. किसी जांच, निरीक्षण, मापन, मूल्यांकन या सर्वेक्षण अथवा इस अधिनियम के द्वारा या इसके अंतर्गत अधिकृत अथवा इस अधिनियम या इसके अंतर्गत अधिकृत अथवा इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम या विनियम के किसी प्रयोजन को कार्यान्वित करने या किसी प्रावधान को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक किसी कार्य को अंजाम देने के लिए बोर्ड द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी या कर्मचारी का, सहायकों और कार्मिकों के साथ या उनके बिना, बोर्ड द्वारा निर्मित किसी भूमि या भवन में जाना या प्रवेश करना वैध होगा।
- दरवाजा आदि तोड़कर भवन में घुसना। 38. बोर्ड की ओर से अधिकृत किसी व्यक्ति के लिए ऐसे स्थान में प्रवेश करना वैध होगा, जहां बोर्ड द्वारा परिसरों और संरचनाओं का निर्माण किया गया हो और अगर उनमें जाने या प्रवेश करने में किसी द्वार, गेट या अन्य रुकावट के कारण कोई बाधा हो तो वह

उन्हें खोल सकता है:—

(क) यदि वह यह समझता है कि उसका खोलना प्रवेश करने के प्रयोजन के लिए अनिवार्य है; और

(ख) यदि मालिक अथवा अधिभोगी अनुपस्थित हो, या उपस्थित होते हुए भी ऐसे दरवाजे, गेट या बाधा को खोलने से इंकार कर दे।

प्रवेश करने का समय। 39. इस अधिनियम द्वारा अधिकृत या इसके अंतर्गत कोई भी प्रवेश सूर्योदय या सूर्यास्त के घंटों के बीच ही किया जा सकता है।

सहमति आम तौर पर 40. इस अधिनियम में उपबंधित को छोड़कर, अधिभोगी अथवा, यदि कोई अधिभागी न हो, तो स्वामी की सहमति के बिना किसी भूमि या भवन में दखल नहीं दिया जायेगा, और उक्त अधिभोगी या स्वामी, जैसी भी स्थिति हो, को दखल देने के आशय का कम से कम 24 घंटे का लिखित नोटिस दिए बिना, कोई दखल नहीं दिया जायेगा।

बेदखली आदेश के खिलाफ नोटिस जारी करना। 41. (1) यदि बोर्ड की यह राय हो कि किन्हीं व्यक्तियों को सरकारी परिसरों पर कब्जा है और उन्हें वहां से बेदखल किया जाना चाहिए, तो बोर्ड नीचे दिए गए ढंग से लिखित नोटिस जारी करेगा, जिसमें सभी संबंधित व्यक्तियों से पूछा जायेगा कि वे कारण बतायें कि उनके खिलाफ बेदखली आदेश क्यों न जारी किया जाये।

(2) नोटिस में निम्नांकित बातें होगी :—

(क) आधार बताये जायेंगे जिन पर बेदखली आदेश प्रस्तावित है; और

(ख) सभी संबंधित व्यक्तियों, अर्थात्, सभी व्यक्ति जो सरकारी परिसरों पर कब्जाधारी हैं या हो सकते हैं, या उसमें हित का दावा करते हैं, से पूछा जायेगा कि, —

(प) प्रस्तावित आदेश के खिलाफ नोटिस में निर्दिष्ट तारीख, जो नोटिस जारी करने की तारीख से सात दिन बाद से पहले की तारीख नहीं होगी, को या उससे पहले कारण बताएं, और

(पप) नोटिस में निर्दिष्ट तारीख को बोर्ड के समक्ष हाजिर हों और साथ में वे साक्ष्य लेकर आयें जो दिए गए कारण के समर्थन में प्रस्तुत करना चाहते हैं, और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए भी, यदि ऐसी सुनवाई वांछित हो।

(3) बोर्ड नोटिस देने के लिए उसे सरकारी परिसरों के बाहरी दरवाजे पर या किसी अन्य ध्यानाकर्षी हिस्से पर चिपकायेगा, और निर्धारित किए गए अन्य तरीके से नोटिस देगा, जिससे सभी संबंधित व्यक्तियों को नोटिस विधिवत दिया गया समझा जा सके।

अनाधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली। 42. (1) यदि धारा 41 के अंतर्गत किसी नोटिस के अनुपालन में किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए कारण, यदि कोई हो, और उसके समर्थन में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर विचार करने और धारा 41 की उप-धारा

(2) के खंड (ख) में वर्णित व्यक्तिगत सुनवाई, यदि कोई हो, के बाद बोर्ड इस बात से संतुष्ट हो कि सरकारी परिसरों पर अनाधिकृत कब्जा है, तो बोर्ड बेदखली आदेश जारी कर सकता है, जिसमें कारण बताए जायें और निर्देश दिया जाये कि आदेश में निर्दिष्ट तारीख को, उन सभी लोगों से सरकारी परिसर खाली कराये जायें, जिन्होंने उन पर या उनके किसी हिस्से पर कब्जा किया हो और आदेश की प्रति सरकारी परिसरों के बाहरी दरवाजे या किसी ध्यानाकर्षी हिस्से पर चिपकाई जाये।

(2) यदि कोई व्यक्ति बेदखली आदेश में निर्दिष्ट तारीख को या उससे पहले या उप धारा (1) के अंतर्गत उसके प्रकाशन की तारीख से 15 दिन के भीतर, इनमें जो भी बाद में हो, बेदखली आदेश पर अमल करने में विफल रहता है या अमल करने से इंकार करता है, तो बोर्ड, निर्दिष्ट तारीख के बाद, या उपरोक्त अवधि समाप्त होने के बाद, इनमें जो भी बाद में हो, उस व्यक्ति को बेदखल करेगा, और सरकारी परिसर को अपने कब्जे में लेगा, तथा इस प्रयोजन के लिए आवश्यकतानुसार बल प्रयोग भी करेगा।

विभिन्न बकाया राशियों की वसूली का तरीका।

43. किसी प्रभार, लागत, व्यय, शुल्क, दरों, लाइसेंस फीस, क्षति या किराया या इस अधिनियम अथवा इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम या विनियम के तहत किसी अन्य मद में बोर्ड की सभी बकाया राशियां उस व्यक्ति से वसूली की जायेंगी जिसकी तरफ ऐसी राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में देय हो।

परंतु इस धारा के अंतर्गत वसूली के लिए कोई कार्रवाई ऐसी राशि के देय होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद नहीं की जायेगी।

संशोधन।

44. उपराज्यपाल, अपने आपसे अथवा किसी आवेदन पर, किसी निर्णय या पारित आदेश की वैधता अथवा औचित्य से स्वयं को संतुष्ट करने के प्रयोजन से बोर्ड द्वारा की गयी किसी सुनवाई या निर्णय या पारित किए गए आदेश का रिकॉर्ड मांग सकते हैं और उसकी जांच कर सकते हैं, और अगर उनकी राय में सम्बद्ध निर्णय या आदेश को परिवर्तित, रद्द या संशोधित किए जाने की आवश्यकता हो, तो वे उससे प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, उस बारे में ऐसा आदेश पारित कर सकते हैं जो वे उपयुक्त समझते हों:

परंतु इस धारा के अंतर्गत उपराज्यपाल के अधिकारों के इस्तेमाल से संबंधित प्रत्येक आवेदन उस तारीख से 90 दिन के भीतर प्रस्तुत की जाने को वरीयता दी जायेगी, जिस तारीख से आवेदन से संबंधित सुनवाई, निर्णय या आदेश की जानकारी आवेदक को दी गयी थी।

अपील।

45. (1) इस अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड द्वारा जारी किए गए या दिए गए किसी नोटिस, आदेश या निर्देश से व्यथित व्यक्ति, नोटिस, आदेश या निर्णय प्राप्त होने की तारीख से, 30 दिन के भीतर, उपराज्यपाल

से अपील कर सकते हैं:

परंतु, उपराज्यपाल 30 दिन की उक्त अवधि समाप्त होने पर भी अपील पर विचार कर सकते हैं, बशर्ते वे इस बात से संतुष्ट हों कि उक्त अवधि में अपील दायर न किए जाने का उपयुक्त कारण था।

(2) उपराज्यपाल को अपील नियमों में निर्धारित प्रपत्र में तथा निर्धारित शुल्क के साथ की जायेगी और उसके साथ उस नोटिस, आदेश या निर्देश की प्रति संलग्न की जायेगी जिसके खिलाफ अपील की जा रही है।

(3) उप-धारा (1) के अंतर्गत किसी अपील पर उपराज्यपाल का आदेश अंतिम होगा।

(4) इस धारा के अंतर्गत, अपीलकर्ता की बात सुने बिना अथवा उसे सुने जाने का उपयुक्त अवसर प्रदान किए बिना, किसी अपील पर निर्णय नहीं किया जायेगा।

कुछ मामलों में
प्रतिषेध।

में 46. कोई व्यक्ति—

(क) बोर्ड के किसी सदस्य या बोर्ड के प्राधिकार के अंतर्गत काम कर रहे किसी व्यक्ति को अपने दायित्वों का निर्वहन करने से जानबूझ कर नहीं रोकेगा; और

(ख) किसी अधिसूचित स्लम और झुग्गी-झोपड़ी बस्ती में बोर्ड की अनुमति के बिना कोई गतिविधि नहीं चलायेगा।

दंड।

47. ऐसे व्यक्ति को जो—

(क) किसी भूमि और भवन पर या किसी जांच, निरीक्षण, मापन, मूल्यांकन या सर्वेक्षण अथवा इस अधिनियम के अंतर्गत अधिकृत अथवा आवश्यक समझे गए किसी कार्य को अंजाम देने के प्रयोजन से बोर्ड द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति को किसी भूमि या भवन पर या में प्रवेश करने से रोकेगा, दोष सिद्ध होने पर, सामान्य कारागार, जिसकी अवधि तीन महीने तक हो सकती है, या जुर्माना, जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, अथवा दोनों दंड दिए जायेंगे;

(ख) इस अधिनियम के किसी प्रावधान अथवा इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों का अनुपालन करने के लिए जारी किसी नोटिस, आदेश या निर्देश का अनुपालन करने में विफल रहेगा, दोष सिद्ध होने पर सामान्य कारागार, जिसकी अवधि छह महीने तक हो सकती है, या जुर्माना, जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है, अथवा दोनों दंड दिए जायेंगे।

अपराधों का अभियोजन और सुनवाई।

48. (1) इस अधिनियम के अंतर्गत किसी दंडनीय अपराध के लिए कोई अभियोजन बोर्ड की पूर्व अनुमति लिए बिना शुरू नहीं किया जा सकता।

(2) इस अधिनियम के अंतर्गत किसी दंडनीय अपराध की सुनवाई मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट की अदालत से कनिष्ठ अदालत में नहीं होगी।

- सदभाव में की गयी 49. बोर्ड या उसके किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के आदेश या किसी कार्रवाई का निर्देश पर काम करने वाले किसी व्यक्ति या प्राधिकारी के खिलाफ संरक्षण। सदभाव से किए गए अथवा इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन करने के आशय से किए गए किसी कार्य के लिए किसी अदालत में कोई मुकदमा या अन्य कानूनी कार्रवाई नहीं की जायेगी।
- बोर्ड द्वारा अधिकारों का 50. बोर्ड, आदेश द्वारा, निर्देश दे सकता है कि इस अधिनियम द्वारा या प्रत्यायोजन। इसके अंतर्गत प्रदत्त किसी अधिकार का इस्तेमाल या अधिरोपित दायित्व का निर्वहन, ऐसी परिस्थितियों और ऐसी स्थितियों, यदि कोई हों, जो आदेश में निर्दिष्ट हों, में ऐसे अधिकारी या कर्मचारी द्वारा किया जा सकता है, जो आदेश में निर्दिष्ट हों।
- बोर्ड को भंग करना। 51. (1) जब सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि इस अधिनियम के अंतर्गत जिन लक्ष्यों के लिए बोर्ड की स्थापना की गयी थी, वे व्यापक रूप में हासिल कर लिए गए हैं और इस तरह बोर्ड का अस्तित्व जारी रखना सरकार की राय में अनावश्यक है, तो सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करके, घोषणा कर सकती है कि बोर्ड अधिसूचना में निर्दिष्ट तारीख से भंग समझा जाये और तदनु रूप बोर्ड को भंग समझा जायेगा।
- (2) बोर्ड को भंग करने के बारे में उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना के प्रकाशन के बाद—
- (क) सभी सम्पत्तियां, निधियां और बकाया, जो बोर्ड में निहित थीं या उसके द्वारा वसूल की जानी थी, वे सरकार में निहित होंगी अथवा उसके द्वारा वसूल की जायेगी;
- (ख) बोर्ड के व्ययन पर सभी भूमियां वापस सरकार के व्ययन पर चली जायेंगी; और
- (ग) बोर्ड के अंतर्गत कार्यरत सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की सेवाएं सरकार को स्थानांतरित समझी जायेंगी।
- नियम बनाने के 52. (1) इस अधिनियम के सभी अथवा किसी उद्देश्य को पूरा करने के अधिकार। लिए सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकती है।
- (2) विशेष रूप से तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम सभी अथवा निम्नांकित मामलों में से किसी एक के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात् :—
- (क) बोर्ड के सदस्यों के वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों;
- (ख) किन्हीं सेवाओं, जो बोर्ड को प्रदान करनी पड़ सकती हैं, के संदर्भ में बोर्ड द्वारा शुल्क अथवा प्रभार लगाना;
- (ग) शहरी आश्रय सलाहकार समिति का गठन;

(घ) सलाहकार समिति के सदस्यों का पारिश्रमिक;

(ङ) कोई रकम या धन राशि जो बोर्ड अपनी निधि में से भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक के चालू खाते में रख सकता है; उस रकम या धन राशियों से अधिक धन, जो बोर्ड द्वारा सरकार से स्वीकृत ढंग से निवेश किया जा सकता है;

(च) बोर्ड का बजट जिस रूप में और वर्ष के दौरान जिस समय तैयार किया जाये, सरकार को भेजी जाने वाली बजट की प्रतियों की संख्या और तुलन पत्रक तथा लेखा और सम्बद्ध रिकार्ड के रखरखाव संबंधी प्रपत्र सहित वार्षिक लेखा विवरण का स्वरूप;

(छ) बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट का स्वरूप और वह तारीख जिसको या जिससे पहले रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की जायेगी;

(ज) बेदखली आदेश के खिलाफ कारण बताओं नोटिस की तामिल करने का ढंग;

(झ) बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध उपराज्यपाल को दाखिल की जाने वाली अपील का फार्म और अपील के साथ भेजी जाने वाली अपेक्षित फीस निर्धारित करना;

(ञ) कोई अन्य मामला जो नियमों के अंतर्गत निर्धारित किया जाये या किया जा सकता हो;

विनियम बनाने के 53. (1) बोर्ड, सरकार की पूर्व अनुमति और सरकारी राजपत्र में अधिकार। अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुरूप विनियम बना सकता है ताकि इस अधिनियम के उद्देश्यों को हासिल किया जा सके।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नांकित सभी या किन्हीं मामलों के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात् :-

(क) बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन और अन्य सेवा-शर्तें;

(ख) शौचालयों और स्नान सुविधाओं के इस्तेमाल के लिए शुल्कों के अलावा श्रम के लिए भुगतान या योगदान के बारे में झुग्गी झोपड़ी बस्ती के निवासियों के प्रतिवेदनों और सुझावों से निपटने की पद्धति;

(ग) किसी झुग्गी झोपड़ी बस्ती के लिए बस्ती विकास समिति, जो सम्बद्ध बस्ती या बस्तियों के संदर्भ में बोर्ड की गतिविधियों के मामलों में बोर्ड की सहायता करे और उसे सलाह दे, के गठन के सिलसिले में बोर्ड द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया;

(घ) कोई अन्य मामला, जो विनियमों द्वारा निर्धारित किया जाना हो